न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 324/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/496
दायर दिनांक :– 03.12.2024 निर्णय दिनांक :– 15.07.2025

1. हसण खां पुत्र अलाना जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मो. शरीफ पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
2. नूरदीन पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
3. हजूर खां पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
4. नबीबक्स पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
5. हासमदीन पुत्र अलाना जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सिकन्दर खां मंगलिया अधि. प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को अपने कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 268 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 15.1757 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 273 रकबा 10.9508 हैक्टेयर कुल रकबा 26.4341 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 अपनी खातेदारी भूमि के मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 का अपने–अपने हिस्से अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ने वादग्रस्त भूमि पर अपनी–अपनी रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और उक्त रहवासीय में प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 5 बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपने वादग्रस्त काश्त भूमि पर खूंटे रोपकर तारबंदी

15/7/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कर रखी है। उक्त वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का सरोकार ही है। प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 बलपूर्वक कब्जा करने पर उतारू है जो सरासर गलत है। अतः उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलत अंदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 स्वयं करे नहीं किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 268 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 15.1757 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 273 रकबा 10.9508 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 का कब्जा काश्त है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 के नाम खातेदारी की दर्ज होने से अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 जारी नही की जाती है तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पड़ोसी खातेदार कब्जा कर सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

15/7/25

सहायक कलेक्टर

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 268 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 15.1757 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 273 रकबा 10.9508 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी न करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/7/25

(सुखाराम पिण्डेल आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर